

बुधवार

दिनांक :- 03-01-2018

### शांति भंग करने के 09 आरोपी गिरफ्तार :-

बाबूदीन हैड कानि० थाना मलारना डूंगर ने 1- कानजी पुत्र मूलचन्द उम्र 62 साल 2- कमलेश पुत्र कानजी उम्र 30 साल जातियान मीना निवासीयान मलारना चौड थाना मलारना डूंगर 3- रविशंकर पुत्र रंगलाल जाति मीना निवासी सोनन्दा थाना लालसोट जिला दौसा को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर पेश न्यायालय किया गया।

इसी प्रकार गिरिराज प्रसाद स०उ०नि० थाना मलारना डूंगर ने 1. कयाम पुत्र छोटे खां उम्र 50 साल 2. इमरान पुत्र कयाम खां उम्र 27 साल जातियान शेख मुसलमान निवासीयान मलारना डूंगर थाना मलारना डूंगर जिला समा को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर पेश न्यायालय किया गया।

इसी प्रकार मदनसिंह हैड कानि० थाना रवांजना डूंगर ने 1.मदनलाल पुत्र रामफूल जाति गुजर उम्र 40 साल, मीठालाल पुत्र रामबिलास उम्र 50 साल निवासी भाटपुरा थाना रवाजना डूंगर स.मा. को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर पेश न्यायालय किया गया।

इसी प्रकार बच्चू सिंह उ०नि० थाना कोतवाली ने श्री शिवकेश पुत्र रामदयाल मीना उम्र 30 साल निवासी विज्ञान नगर थाना कोतवाली स०मा० 2. सन्तोष पुत्र श्री रामस्वरूप मीना उम्र 30 साल निवासी मीना बडोदा थाना बजीरपुर को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर पेश न्यायालय किया गया।

### शराब पीकर वाहन चलाते 08 आरोपी गिरफ्तार :-

भंवर सिंह उ०नि० थाना बामनवास ने धौलाराम पुत्र मिश्री लाल उम्र 28 साल जाति लुहार निवासी गंगाजी का कोठा थाना गाजी अलवर को शराब पीकर वाहन चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया।

इसी प्रकार अजीत सिंह स०उ०नि० थाना सदर गंगापुरसिटी ने विजय पुत्र श्री हजारी जाति बैरवा उम्र 25 साल निवासी उदेईकलां थाना सदर गंगापुरसिटी को शराब पीकर वाहन चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया।

इसी प्रकार नत्थन सिंह हैड कानि० थाना रवांजना डूंगर ने श्री कमलेश पुत्र श्रीराम जाति बैरवा उम्र 36 साल निवासी काला कूआ थाना रवाजना डूंगर को शराब पीकर वाहन चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया।

इसी प्रकार संदीप सिंह हैड कानि० थाना कोतवाली ने श्री सीताराम पुत्र रामलाल जाट उम्र 35 साल निवासी लाखनसर थाना श्री डूंगरगढ जिला बीकानेर राज० को शराब पीकर वाहन चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया।

इसी प्रकार हरभान सिंह उ०नि० थाना कोतवाली ने श्री राजेश पुत्र हंसराज प्रजापत उम्र 28 साल निवासी सूरवाल 2. जितेन्द्र पुत्र राजेन्द्र सिंधी उम्र 32 साल निवासी हा०बोर्ड थाना कोतवाली स०मा० 3. हासिम खान पुत्र हनीफ अहमद जाति मुस० निवासी मीना कोलोनी 4.राजेश पुत्र बदरीलाल मीना उम्र 32 साल निवासी जीनापुर को शराब पीकर वाहन चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया।

### शराब पीकर उत्पात मचाते 01 आरोपी गिरफ्तार :-

हरभान सिंह उ०नि० थाना कोतवाली ने श्री महेन्द्र सेनी पुत्र सुखपाल सेनी उम्र 27 साल निवासी जाटवाडा खुर्द थाना मानटाउन स०मा० को शराब पीकर उत्पात मचाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया।

### दर्ज मुकदमात के 09 आरोपी गिरफ्तार :-

प्रताप सिंह स०उ०नि० थाना सूरवाल ने 1. बट्टी पुत्र श्री कल्याण उम्र 60 साल, 2. श्रीमति मिश्री पत्नि रामफूल उम्र 68 साल, 3. श्रीमति अन्ता पत्नि देवा उम्र 28 साल समस्त जातियान गुर्जर निवासियान सिरोही थाना सूरवाल को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि आरोपी के विरुद्ध श्रीमती कैलाशी पत्नी चतरू गुर्जर उम्र 50 साल निवासी सिरोही ने दिनांक 25.12.2017 को थाना सूरवाल पर मु०नं० 248/17 धारा 323,341,452,143 ता०हि० में दर्ज कराया था।

इसी प्रकार राधेश्याम स०उ०नि० थाना खण्डार ने 1. रामनिवास पुत्र सुखजी उम्र 48 साल 2. मोहरपाल पुत्र सुखजी उम्र 58 साल 3. लटूर पुत्र मोहरपाल उम्र 32 साल 4. सुरेश पुत्र मोहरपाल उम्र 28 साल 5. मीठालाल पुत्र मोहरपाल उम्र 30 साल, 6. कैलाशी पत्नी रामनिवास जातियान माली निवासीयान अल्लापुर थाना खण्डार को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि आरोपी के विरुद्ध श्रीमती परसादी पत्नी रामदयाल माली निवासी अल्लापुर ने दिनांक 15.10.2017 को थाना खण्डार पर मु०नं० 208/17 धारा 143,341,323,324, 325,308 ता०हि० में दर्ज कराया था।

## सट्टे की खाईवाली करते 01 आरोपी गिरफ्तार :-

सन्त सिंह स0उ0नि0 थाना वजीरपुर ने श्री दीपक जागा पुत्र श्री मदनमोहन जाति जागा निवासी खण्डीप थाना बजीरपुर को सार्वजनिक स्थान पर सट्टे की खाईवाली करते हुये पाये जाने पर मय सट्टा उपकरण व 1520 रुपये नकद के साथ गिरफ्तार कर मु0न0 05/18 U/S 13 RPGO ACT में थाना वजीरपुर पर दर्ज किया गया।

## ध्वनि प्रदूषण करने का 01 आरोपी गिरफ्तार:-

रामसहाय स0उ0नि0 थाना सूरवाल नें आसिंफ पुत्र श्री ईसी जाति मेव मुसलमान उम्र 20 साल निवासी अल्लापुर जट थाना तिजारा अलवर को तेज आवाज में डेकमशीन स्पीकर बजाने के आरोप में गिरफ्तार किया।

उल्लेखनीय है कि आरोपी सार्वजनिक स्थान पर पिकअप में तेज आवाज में स्पीकर बजाते हुए जा रहा था जिस पर आरोपी के विरुद्ध ध्वनि प्रदूषण अधिनियम के तहत मु0न0 03/18 धारा 4/6 आरएनसी एक्ट में थाना सूरवाल पर दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया।

## अवैध शराब बेचते हुये 02 आरोपी गिरफ्तार :-

जगदीश प्रसाद हैड कानि0 थाना वजीरपुर ने श्री मनी उर्फ राजीव पुत्र श्री छाजूराम मीना निवासी सेवा थाना बजीरपुर को अवैध शराब बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि आरोपी ग्राम सेवा में 45 पब्बे देशी शराब बेचते पाया गया। आरोपी से लाइसेंस बाबत पूछा तो संतोषजनक जबाब नहीं दिया जिस पर आरोपी के विरुद्ध मु0न0 03/2018 धारा 19/54 एक्साईज एक्ट, में दर्ज कर गिरफ्तार किया गया।

इसी प्रकार कप्तान सिंह हैड कानि0 थाना वजीरपुर ने श्री समयसिंह पुत्र श्री गिर्राज प्रसाद जाति जाटव निवासी श्यारौली थाना बजीरपुर को अवैध शराब बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि आरोपी ग्राम श्यारौली में 96 पब्बे देशी शराब बेचते पाया गया आरोपी से लाइसेंस बाबत पूछा तो संतोषजनक जबाब नहीं दिया जिस पर आरोपी के विरुद्ध मु0न0 04/2018 धारा 19/54 एक्साईज एक्ट, में दर्ज कर गिरफ्तार किया गया।